न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 292/2024

नखतसिंह पुत्र तेजमालसिंह राजपूत
निवासी ग्राम मारूडी, तहसील बाडमेर
जिला बाडमेर

अपीलाण्ट...

ब ना म

1. गेनसिंह पुत्र कंवराजसिंह राजपूत
2. तनसिंह पुत्र हडवन्तसिंह राजपूत
3. मानसिंह पुत्र सगतसिंह राजपूत
4. शैतानसिंह पुत्र सगतसिंह राजपूत
5. रेवतसिंह पुत्र सगतसिंह राजपूत
6. हबसिंह पुत्र सगतसिंह राजपूत
7. मथराराम पुत्र केसराराम मेघवाल
   निवासीगण ग्राम मारूडी, तहसील बाडमेर
   जिला बाडमेर
8. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार बाडमेर

रेस्पो....

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाडमेर दिनांक 22 दिसम्बर 2023 प्रकरण संख्या 20/2023 गेनसिंह बनाम नखतसिंह आदि

उपस्थित–
श्री रोशनलाल, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री हनुमानसिंह भाटी, अधिवक्ता–रेस्पो. संख्या 1 से 7
रेस्पो. संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 04 अक्तूबर, 2024

अपीलाण्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा प्रकरण संख्या ... गेनसिंह बनाम नखतसिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 20

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

दिसम्बर 2023 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो. जगराम आदि की ओर से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के तहत एक प्रार्थनापत्र आराजी खसरा संख्या 59 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा वके मौजा मारूडी बाबत नेखमबन्दी हेतु प्रस्तुत किया, जो विचारण न्यायालय द्वारा जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2023 को स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स द्वारा आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 व 128 के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए बिना तरमीम के ही पारित किया गया है। पत्थरगढी की आड में किसी खातेदार के कब्जे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, किन्तु आलौच्य मामले में प्रार्थीगण–रेस्पो. कब्जे में परिवर्तन करवाना चाहते है। विचारण न्यायालय में दिनांक 27 अक्तूबर 2023 से पत्रावली में अन्य अप्रार्थीगण की तामील हेतु दिनांक 6 फरवरी 2024 की पेशी मुकर्रर थी, मगर बिना किसी आधार के दिनांक 19 दिसम्बर 2023 को पत्रावली पेशी पर ली जाकर सम्मन–डिलीवरी रिपोर्ट के बिना ही आगे तारीख 22 दिसम्बर 2023 नियत की जाकर 22 दिसम्बर 2023 को अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो विधिसम्मतः नहीं होने से खारिज किया जावे और अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता–रेस्पो. ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट के अधिवक्ता–उपस्थित हुए है जिन्हें जबाब प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिये जाने के उपरान्त भी कोई जबाब पेश नहीं किया गया । अब अपील स्तर पर अपीलाण्ट द्वारा अन्य रेस्पो. की तामील के संबंध में प्रस्तुत आधारहीन आक्षेप स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट की अधिवक्ता–उपस्थित हुए है। जिससे जाहिर है कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट को सुनवाई एवं जबाब का अवसर प्रदान किया गया, मगर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

अपीलाण्ट की ओर से कोई जबाब विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया।

दिनांक 19 दिसम्बर 2022 को विचारण न्यायालय में मिसल पेशी पर लिये जाने के संबंध में अधिवक्ता–अपीलाण्ट द्वारा लिया गया आक्षेप भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है क्योंकि विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध आदेशिकाओं के अवलोकन से प्रकट होता है कि दिनांक 27 अक्तूबर 2023 की आदेशिकानुसार आगामी पेशी 06 फरवरी 2024 मुकर्रर की गयी, मगर उसके बाद पुनश्च लिखा जाकर अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर तारीख पेशी 19 दिसम्बर 2023 निर्धारित की गयी। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दिनांक 19 दिसम्बर 2023 को विचारण न्यायालय में पत्रावली बिना किसी आधार के पेशी पर ली गयी।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20 दिसम्बर 2023 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 04 अक्तूबर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

4.10.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर